

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 811) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2024

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना 14 अगस्त 2024

सं० बी1—3—147/2020—66— यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्रीमती मीसा भारती का स्थान जिनकी पदावधि 07.07.2028 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके अठारहवीं लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण 04.06.2024 से रिक्त होने के फलस्वरूप हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप—निर्वाचन कराने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या—100/रा.स.—बिहार/05/2024 (1) दिनांक 14.08.2024 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिथिलेश कुमार साहु संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक: 14 अगस्त, 2024 श्रावण 23, 1946 (शक)

सं. 100/रा.स.-बिहार/05/2024 (1) —यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्रीमती मीसा भारती का स्थान जिनकी पदाविध 07.07.2028 सिहत उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके अठारहवीं लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण 04.06.2024 से रिक्त हो गया है: और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा-

- (अ) बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 06 सितम्बर 2024 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।
- (आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा
(उ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा
21 अगस्त, 2024 (मुख्वार);
27 अगस्त, 2024 (मंगलवार);
3 सितम्बर, 2024 (मंगलवार); और
6 सितम्बर, 2024 (शुक्रवार); नियत करता है: और

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से, सुमन कुमार दास, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

No.100/CS-BR /05/2024 (1)—WHEREAS, the seat of Smt. Misha Bharti, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Bihar, has become vacant on 04.06.2024 by the reason of her election to the 18th Lok Sabha, before the expiration of her term of office which was up to and including 07.07.2028; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

- (A) calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Bihar to elect, before 06th September, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) appoints with respect to said election, -
 - (a) the 21st August, 2024 (Wednesday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 22nd August, 2024 (Thursday), as the date for the scrutiny of the nominations;

- (c) the 27th August, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 03rd September, 2024 (Tuesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 06th September, 2024 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order, SUMAN KUMAR DAS, Secretary to the Election Commission Of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 811-571+50-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in